

## उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील वावेदन क० बलरामपुर

बलरामपुर 221820030014351

प्रमाणपत्र क०

521223002247

प्रमाणित किया जाता है कि

पदी

माता का नाम

निवासी

ग्राम


तहसील

जिला

श्रीमती तस्लीमा परवेज़ गुलाम रजा

रुवीना वेगम

,मोo गोविन्द बाग वॉर्ड नo 14



जारी दिनांक: 06/05/2022

वलरामपुर वलरामपुर

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>मोमिन (अंसार)</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुमूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुमूची एक के

अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तस्लीमा परवेज़ पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० मी०-॥ , दिनौंक २० अक्टुबर २००८ द्वारा मंशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं <del>है तथा</del> इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छट सीमा से अधिक

सम्पत्ति नहीं है।

Umited vebuble of the property September of केंद्र AVADHESH Avadhedh Kulongara (केंद्र केंद्र केंद् पद: अज़ीज़ अहमद, केन्द्र प्रभारी

स्यान : 16,16,बलरामपुर,बलरामपुर,बलरामपुर

दिनॉक: 07/05/2022

KUMAR OU-REVENUE

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित बलरामपुर,बलरामपुर दिनॉक:06/05/2022

हस्ताक्षर एंब मुहर यह प्रमाण पत्र इसेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिप्रेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र॰ अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।